

25/11 पत्रावली पेश हुई। आवेग्यक मच  
आज पत्रावली कार्य का स्थान कर  
रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार  
दिनांक 25/11 को पेश हो।

8/11 पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उप. I.P.O.  
सा. दौर पर है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार  
दिनांक 8/11 को पेश हो।

19/5 पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उप. I.P.O.  
सा. दौर पर है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार  
दिनांक 26/5 को पेश हो।

पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उप. I.P.O.  
सा. दौर पर है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार  
दिनांक 26/5 को पेश हो।

26/5 पत्रावली में बहस एकपक्षीय सुनी  
गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय 30.5.22  
के पेश हो।

30/5/22 पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील  
प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली में बहस एकपक्षीय पूर्व में सुनी  
जा चुकी है। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में  
अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि  
मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढी के आदेश पारित किये  
जावे। बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर  
उपलब्ध प्रार्थना पत्र, राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया  
गया। जिससे जाहिर है कि वादग्रस्त भूमि में मुताबिक  
राजस्व रिकॉर्ड प्रार्थी सहखातेदार दर्ज है। अतः अन्य  
सहखातेदार व पडौसी खातेदारान को सूचित कर बाद  
सम्यक संतुष्टि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढी किया जाना  
न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी बाबत् पत्थरगढी  
स्वीकार किये जाने योग्य है।

(बजेश कुमार)  
बजेश कुमार  
उप. एड. अधिकारी

**हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जय**

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थना स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पाटन को आवेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम हैमराजपुरा तहसील पाटन स्थित भूमि खसरा नंबर 525 रकबा 0.35 हैक्टॉ 526 रकबा 0.07 हैक्टॉ, 527 रकबा 0.04 हैक्टॉ की प्रार्थना, अन्य एवं पडॉसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि सीमाज्ञान, मुताबिक सीमाज्ञान 14.06.2020 उक्त खसरा नम्बरान की चतुर्दिक सीमाओं पर पत्थरगादी की जावे। दौराने पत्थरगादी कब्जा दिलवाने अथवा वंदखली की कार्यवाही नहीं की जावे। तहसीलदार पाटन को इस हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली बाद फौजल शुमार नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।  
निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(बुजेश कुमार)

उपखण्ड अधिकारी  
नीमकाथाना

(बुजेश कुमार)

उपखण्ड अधिकारी  
नीमकाथाना (नीमर)